भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1974
05/08/2026 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की प्रगति एवं उपलब्धियां

1974 # श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मत्स्य क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा तथा उनसे लाभान्वित मत्स्य पालकों की राज्य-वार संख्या क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा मत्स्य अवसंरचना, शीत श्रृंखला तथा मूल्य संवर्धन सुविधाओं के विकास के लिए कोई विशेष पहल की गई है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार का मत्स्यपालन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र तथा संधारणीय विकास के लिए 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्यपालन की क्षमता का सतत, उत्तरदायित्वपूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से दोहन करना, मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना, मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना भी है। भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने पिछले छह वर्षों के दौरान 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की 21,584 करोड़ रुपये की मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 9,694 करोड़ रुपये है। इस स्वीकृत केंद्रीय हिस्से के मुकाबले, पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 6,206 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। यह अनुमान है कि पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं से देश के 58 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। पिछले छह वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, केंद्रीय हिस्से और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ग) और (घ): भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अन्य बातों के साथ-साथ (inter-alia) मत्स्यपालन अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें फिशिंग हार्बर (मत्स्यन बंदरगाह), मछली लैंडिंग केंद्र, मछली बाजार, कोल्ड स्टोरेज (शीतागार), बर्फ संयंत्र, थोक मछली बाजार, हैचरी (मत्स्य प्रजनक केंद्र) और ब्रूड बैंक आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित 'मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष' (FIDF) विभिन्न पात्र संस्थाओं, जिनमें राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, को मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। इन योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रमुख अवसंरचनात्मक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं : 183 मत्स्यन बंदरगाह (फिशिंग हार्बर) और मछली लैंडिंग केंद्र, 775 कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) और बर्फ संयंत्र, 1,394 जीवंत मछली बिक्री इकाइयाँ, 6,018 फिश कियोस्क, 117 खुदरा मछली बाजार, 24 थोक मछली बाजार, 28,489 मत्स्य परिवहन सुविधाएं, जैसे कि 13,718 इंसुलेटेड आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिलें, 8,527 इंसुलेटेड आइस बॉक्स युक्त साइकिलें, 4,257 ऑटो रिक्शा, 1,577 इंसुलेटेड ट्रक, 410 रेफ्रिजरेटेड (शीतित) ट्रक।

अनुबंध - I

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की प्रगति एवं उपलब्धियां विषय पर 5 अगस्त 2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1974 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण : प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पिछले छह वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं, केंद्रीय हिस्सेदारी और जारी केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**परियोजना लागत**	**केंद्रीय हिस्सा**	**जारी की गयी केंद्रीय निधि**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	269.84	245.33	17.09
2	आंध्र प्रदेश	2,328.89	681.38	444.95
3	अरुणाचल प्रदेश	230.31	159.18	127.09
4	असम	541.63	298.44	218.51
5	बिहार	579.62	193.12	121.93
6	छत्तीसगढ	956.86	321.01	272.37
7	दिल्ली	5.33	2.86	1.63
8	गोवा	147.24	72.19	53.05
9	गुजरात	910.75	346.74	173.35
10	हरियाणा	760.87	262.16	162.75
11	हिमाचल प्रदेश	156.03	79.93	78.91
12	जम्मू और कश्मीर	154.57	81.43	79.61
13	झारखंड	472.63	166.58	118.50
14	कर्नाटक	1,053.60	380.32	328.29
15	केरल	1,329.63	570.49	432.22
16	लद्दाख	33.49	20.10	12.17
17	लक्षद्वीप	62.45	44.22	14.42
18	मध्य प्रदेश	910.81	305.51	292.27
19	महाराष्ट्र	1,601.44	593.33	392.11
20	मणिपुर	201.82	95.84	29.92
21	मेघालय	132.62	74.26	65.44
22	मिजोरम	154.17	85.61	83.52
23	नगालैंड	168.33	109.56	89.17
24	ओडिशा	1,301.19	484.66	361.35
25	पुदुचेरी	351.26	296.44	92.40
26	पंजाब	162.23	46.96	29.46
27	राजस्थान	70.38	24.53	8.90
28	सिक्किम	83.68	51.70	43.98
29	तमिलनाडु	1,236.21	474.99	223.02
30	तेलंगाना	353.02	112.69	41.19
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	129.89	127.16	1.79
32	त्रिपुरा	262.93	150.60	91.45
33	उत्तर प्रदेश	1,294.32	412.30	336.61
34	उत्तराखंड	317.25	170.20	166.68
35	पश्चिम बंगाल	546.38	223.19	87.04
क	**कुल (सीएसएस)**	**19,271.67**	**7765.01**	**5,093.16**
ख	पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक	2,312.92	1,929.68	1,112.62
क+ख	**कुल (सीएसएस + सीएस)**	**21,584.59**	**9,694.69**	**6,205.78**
